संख्या:190/2026/1508/35-4-2026/35-4002(003)/23/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देवरिया।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 30 सितम्बर, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृति कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश-82/2026/543/35-4002(003)/23/2026 दिनांक 31 मार्च, 2026 द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद देवरिया में 80 कार्यों हेतु रू. 4959.30 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 1242.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- जिलाधिकारी देवरिया के पत्र संख्या-142/त्वरि0आ0वि0यो0/2026-27 दिनांक 04.05.2026 के माध्यम से उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि से अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-505404337030301 के मद-24-वृहत निर्माण कार्य में दिनांक 31.03.2026 को डी0डी0ओ बिल न0-3529440192 द्वारा ट्रेजरी में प्रस्तुत की गयी बिल धनराशि रू. 104000000.00 (रूपये दस करोड चालीस हजार मात्र) के सापेक्ष टंकण त्रुटि के कारण मात्र रू. 10400000.00 (रूपये एक करोड़ चार लाख मात्र) की धनराशि कार्यदायी संस्था को अंतरित हो पायी एवं अन्तर की धनराशि रू. 93600000.00 (रूपये नौ करोड़ छत्तीस लाख) लैप्स हो गयी। जिलाधिकारी देवरिया द्वारा उक्त लैप्स हुई धनराशि का निराकरण किये जाने एवं लैप्स धनराशि को अवमुक्त किये जाने हेतु प्रकरण सन्दर्भित किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026 द्वारा स्वीकृत 80 कार्यों में से 04 कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि रू. 43.00 लाख की स्वीकृति को शासनादेश-120/2026/667/35-4002(003) /23/2026 दिनांक 08 अप्रैल, 2026 द्वारा निरस्त किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026 द्वारा स्वीकृत 80 कार्य जिसमें से 56 कार्यों (कार्यदायी संस्था-ग्रामीण अभियंत्रण विभाग) हेतु प्रथम किश्त के रूप में अनुदान-40 के लेखाशीर्ष-505404337030301 के मद-24-वृहत निर्माण में अवमुक्त की गयी धनराशि रू. 1040.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में मात्र 104.00 लाख की धनराशि आहरित होने के कारण लैप्स/अवशेष धनराशि के सापेक्ष निरस्त किये गये 04 कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि रू. 43.00 को समायोजित करते हुए सम्यक विचारोपरान्त एतदद्वारा 52 कार्यों हेतु रू. 893.00 लाख (रूपये आठ करोड तिरानबे लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026 एवं दिनांक 08 अप्रैल, 2026 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।
2. प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को अंतरित की गयी धनराशि रू. 104.00 लाख में से उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2026 द्वारा निरस्त किये गये कार्यों हेतु अंतरित धनराशि को 52 कार्यो के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।
3. इस समय अवमुक्त धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त अवमुक्त की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2027 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

2- उक्त होने वाले व्यय रू० 893.00 लाख (रूपये आठ करोड तिरानबे लाख मात्र) वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- -5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव ।

संख्या:190/2026/1508(1)/35-4-2025/35-4002(003)/23/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/नगर विकास/पंचायतीराज/समाज कल्याण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
6- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मंडल ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० सिडको, लखनऊ।
11- मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया।
12- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देवरिया।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
14- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, देवरिया।
16- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, देवरिया।
17- अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम, देवरिया।
18- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/जिलास्तर अधिकारी, यू०पी० सिडको, देवरिया।
19- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।